समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 124/2016-17 (रेलवे) ..1145.. / भू०अ० गोड्डा दिनांक :– 29/9/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **कित्ता मझौना सीट नं०–1, थाना नं०– 542, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **गोड्डा से पीरपैंती नई बी॰जी॰ रेलवे लाईन निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस० आई० ए० ईकाई ए॰एम॰सी॰एस॰ प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– **कित्ता मझौना सीट नं०–1, थाना नं०– 542, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **4.588** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	32	निजी	धानी II	0.129	0.0645	राधेश्याम राय, पिता– प्रसादी राय, साकिन– कमरगामा	10, 11	33, 26	24	32 अंश
2						0.0645	सदानन्द राय, पिता– प्रसादी राय, साकिन– कमरगामा				
3	2	10	निजी	धानी I	0.099	0.0495	विशनदेव सिंह, माता– सरयुवती, पिता– जमाल सिंह, साकिन– कमरगामा	11	32	11	10 अंश
4						0.0495	मो० मिलीया, पति– स्व० धीरज सिंह, साकिन– कमरगामा				
5	3	18	निजी	धानी I	0.242	0.242	सुकरी देवी, पति– स्व० पुरण ब्रहम वो मे० स्वर्णलता देवी, पति– कामेश्वर ब्रहम एवं अन्य, साकिन– कमरगामा	5	13	18 अंश	6,7,13
6	4	26	निजी	धानी II	0.441	0.436	राधेश्याम राय, माता– भुलनी देवी, पिता– प्रसादी राय, साकिन– कमरगामा	32, 24	33	26 अंश	32
7		33	निजी	धानी II	0.431	0.436	सदानंन्द राय, माता– भुलनी देवी, पिता– प्रसादी राय, साकिन– कमरगामा	26	चैनपुर	26	खैराकित्ता
8	7	2	निजी	धानी I	0.139	0.581	मो० देवरीवती, पति– स्व० भोती ब्रहम, साकिन– कमरगामा				
9		6	निजी	धानी I	0.437	0.291	मो० स्वर्णलता, देवी स्व०– कामेश्वर ब्रहम, साकिन– कमरगामा	दनियाला	1	3	1

10		13	निजी	धानी I	0.587	0.291	सुकश्री देवी, स्व0– पुरण ब्रहम, साकिन– कमरगामा				
11	9	1	निजी	धानी I	0.443	0.451	विनोद महतो, पिता– नरेश महतो, साकिन– रायकित्ता	2,3	8, 7, 6	5	32 अंश
12		11	निजी	धानी I	0.459	0.451	जगरनाथ महतो, पिता– राम प्र0 महतो, साकिन– रायकित्ता	7	10	12	10
13	9	9	निजी	धानी I	0.033	0.033	खतियानी रैयत– स्वारथ महतो, पिता– हंसराज महतो के वंशज, साकिन– रायकित्ता	7	10, 11	7	9 अंश
14	10	3	निजी	धानी I	0.060	0.574	रामस्वरूप ब्रहम, पिता– लीलमुनी ब्रहम, साकिन– कमरगामा	दनियाला	5	3 अंश	2
15		5	निजी	धानी I	0.068	0.1435	रोहित ब्रहम, पिता– भगवान ब्रहम, साकिन– कमरगामा	दनियाला	1, 5	3 अंश	2
16		7	निजी	धानी I	0.471	0.1435	प्रदीप ब्रहम, पिता– भगवान ब्रहम, साकिन– कमरगामा				
17		12	निजी	धानी I	0.456	0.1435	सुरेन्द्र ब्रहम, पिता– भगवान ब्रहम, साकिन– कमरगामा				
18		14	निजी	धानी I	0.082	0.1435	अभिमन्यु ब्रहम, पिता– भगवान ब्रहम, साकिन– कमरगामा				
19		25	निजी	धानी II	0.011						
				कुल :–	4.588	4.588					

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी– कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

29/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1145 / भू0अ0 दिनांक :– 29/9/18 ।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

29/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1145 / भू0अ0 दिनांक :– 29/9/18 ।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, गोड्डा / अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा / भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा / अंचल अधिकारी, महागामा / अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीध्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

29/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :1145 / भूअ0 दिनांक : 29/9/18

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।